प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर यह प्रतिवेदन भारतीय रेलवे (आईआर) के लेखा एवं वित्त की विश्लेषणात्मक समीक्षा उपलब्ध कराता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार किया गया है।

अध्याय 1 में भारतीय रेलवे के वित्त पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं और 31 मार्च 2012 को भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करता है। आय, व्यय, आरक्षित, प्रचालन क्षमता आदि पर विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण किया गया है।

अध्याय 2 में भारतीय रेलवे के विनियोजन लेखाओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष और आबंटित संसाधनों के प्रबन्धन का विश्लेषण शामिल है। इस अध्याय में संसद द्वारा दिए गए प्राधिकार के प्रति बचतों/आधिक्यों के कारणों का विश्लेषण भी किया गया है।

अध्याय 3 भारतीय रेलवे में आन्तरिक नियंत्रणों की विद्यमान प्रणाली सहित बजट के बनाने और वित्तीय प्रबन्धन को शासित करने वाले नियमों और विनियमों के साथ रेलवे बोर्ड, जोनल मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर बजट के बनाने की प्रक्रिया पर है। इसमें अपर्याप्त वित्तीय प्रबन्धन पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी शामिल किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप आन्तरिक संसाधनों, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों आदि के बनाने में गिरावट हुई।